	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील डिक्रीदार उपस्थित पत्रावली में लेट होने के कारण पत्रावली अगले दिनांक 21/6/17 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी करौली	
	वकील डिक्रीदार उपस्थित। पत्रावली में लेट होने के कारण पूर्वानुसार डिक्री का निष्पादन तरमीमा करने हेतु के आदेश L.R. मार्च दिनांक 10/12/02 पश्चात पर मनन्त कार्यवाही की जा रही है। अ.नि.सं. 467 दा.प्र. संहिता में नियमानुसार संशोधन 2002 दिनांक 31/12/02 के तहत 30B के तहत निष्पादन के लिए कोई भी अदालत डिक्री को पालना नहीं कि जा सकती है। अतः इस तरह इसे लेट पर स्थगित कि जाती है। जिससे वकील डिक्रीदार लेटेस्ट ही अतः पत्रावली में लेटेस्ट युगा लेख तरमीमा के बाद को शामिल रखता है। उपखण्ड अधिकारी करौली	